


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-9-24	<p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024 /2402 दिनांक 12.09.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.09.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-</p> <p>ग्राम ईन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाडा</p> <p>1. नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा निवासी 02 एफ 11 सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-</p> <p>आराजी नम्बर 1066 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1062/1 रकबा 0.1517 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर रहेगी।</p> <p>2. चान्दी पत्नी कालु गुर्जर, जगदीश पुत्र लादू, नन्दा पुत्र लादू, सुडी पत्नि लादू गुर्जर निवासी ईन्द्रपुरा के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-</p> <p>आराजी नम्बर 1067 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1062/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि रहेगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 12-9-2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।</p>	

  
 जज अहकाम अधिकारी एम्  
 पटवार सहायक कलेक्टर  
 भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री  
( आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या  
725 / 2024

दायर दिनांक  
28.08.2024

निर्णय दिनांक  
12.09.2024

उनवान

1. नारायणलाल लढा पुत्र केदार लाल लढा जाति महाजन निवासी 02-एफ-11 आर0 सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा व जिला भीलवाड़ा (राज0)

— वादी

बनाम

1. श्रीमती चान्दी पत्नी स्व0 कालु गुर्जर निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. जगदीश पुत्र लादू गुर्जर निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. श्री नन्दा पुत्र लादू गुर्जर निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. श्रीमती सुडी पत्नी लादू गुर्जर निवासी इन्द्रपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादीगण अधिवक्ता श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 04 उपस्थित नहीं। प्रकरण में - इस वाद में तारीख 12.09.2024 पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री दी जाती है :-

ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का पालडी तहसील भीलवाड़ा

1. नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा निवासी 02 एफ 11 सा0 आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी रहेगी :-

आराजी नम्बर 1066 रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1062/1 रकबा 0.1517 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2276 हैक्टेयर रहेगी।

2. चान्दी पत्नी कालु गुर्जर, जगदीश पुत्र लादू, नन्दा पुत्र लादू, सुडी पत्नी लादू गुर्जर निवासी इन्द्रपुरा के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 1067 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1062/2 रकबा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा